संख्या:60/2022/1843ई-2/तेरह-2022-229956

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 15 **नवम्बर, 2022**

विषय: मेसर्स त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि., मुजफ्फरनगर को बी-हैवी शीरे से अल्कोहल उत्पादन किये जाने के कारण अधिष्ठापित क्षमता में अन्तरिम रूप से 25 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-201/दो-प्रा.डी.-111/त्रिवेणी, दिनांक 29-07-2022, एवं पत्र संख्या-जी-241/दो-प्रा.डी.-111/त्रिवेणी, दिनांक 03-11-2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 29-07-2022 एवं 03-11-2022 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत मेसर्स त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि., मुजफ्फरनगर की सी-हैवी शीरे पर क्षमता 160 कि.ली. प्रतिदिन के स्थान पर अन्तरिम रूप से 25 प्रतिशत वृद्धि कर 200 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् स्वीकृत वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता 560 लाख लीटर वार्षिक के अतिरिक्त ग्रेन पर आधारित क्षमता 60 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् 210 लाख लीटर वार्षिक को यथावत रखते हुए अन्तरिम रूप से 25 प्रतिशत अर्थात 40 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् 140 लाख ब.ली. अतिरिक्त अल्कोहल का उत्पादन अर्थात् शीरे पर कुल 700 लाख लीटर अल्कोहल का उत्पादन बी-हैवी शीरे से किये जाने एवं 210 लाख लीटर ग्रेन से अल्कोहल उत्पादन को यथावत रखते हुये कुल अधिष्ठापित क्षमता 910 लाख लीटर वार्षिक किये जाने की अनुमति **इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि** आसवनी/इकाई द्वारा निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगाः-

(1) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जाएगा।

(2) भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित सम्बन्धित समस्त आवश्यक पर्यावरणीय व अन्य सांविधिक शर्तें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कन्सेन्ट आर्डर दिनांक 08-02-2021 द्वारा निर्गत जल सहमति एवं वायु सहमति में उल्लिखित शर्तें।

(4) आसवक द्वारा बढ़ी हुयी क्षमता पर नियमानुसार तत्काल अनुज्ञापन शुल्क जमा किया जायेगा तथा आसवनी में बी-हैवी शीरे के उपभोग के समाप्त होने पर सी-हैवी शीरे से अल्कोहल उत्पादन किये जाने हेतु आसवनी के सहायक आबकारी आयुक्त से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(5) प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही करने से पूर्व आबकारी आयुक्त, उ.प्र. द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इकाई पर अद्यतन कोई राजस्व देयता/बकाया नहीं है।

(6) मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या-977/2021(TAX) में पारित निर्णय आसवक के लिये बाध्यकारी होगा।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।